आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्रवाद सं. 09/2015	
27/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय: जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **प्रियरंजन कुमार, पिता–बिरेन्द्र सिंह, ग्राम–अमनौर पूर्वी टोला, थाना–अमनौर, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3158/गो0 27.7.14 के द्वारा आवेदक प्रियरंजन कुमार, पिता–बिरेन्द्र सिंह, ग्राम–अमनौर पूर्वी टोला, थाना–अमनौर, जिला–सारण का रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनका सीमेंट, छड़ एवं गैस एजेंसी का अमनौर में व्यवसाय है। यह प्रखंड पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिससे उनके और उनके पूरे परिवार पर खतरे की आशंका बनी रहती है। अपनी जान–माल की सुरक्षा के लिए इनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन को जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, अमनौर के ज्ञापांक डी.आर. 862 दिनांक 15.6.11 एवं डी.आर. 810 दिनांक 13.7.14, अंचलाधिकारी, अमनौर के पत्रांक 221 दिनांक 4.8.11 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 1396/गो0 दिनांक 9.8.11 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3158/गो0 दिनांक 27.7.14 के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक	

के नाम पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का गैस एजेंसी है, जो अमनौर थाना अंतर्गत है और अगुआन रोड पर स्थित है। गैस गोदाम और कार्यालय एक ही जगह है। गैस वगैरह का पैसा जमा करने हेतु वहाँ से 02 कि.मी. की दूरी पर स्थित बैंक में इन्हें आना–जाना पड़ता है। इस क्षेत्र नक्सली गतिविधि से प्रभावित रहने की वजह से इनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रेषित किया गया है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन थानाध्यक्ष, अमनौर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक प्रियरंजन कुमार, पिता–विरेन्द्र सिंह, ग्राम–अमनौर पूर्वी टोला, थाना–अमनौर, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रायफल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 64 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
प्रभारी विधि शाखा,सारण,छपरा।
29/1/15